



# शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

**Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar**

**Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001**

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website : [www.bvvjdp.ac.in](http://www.bvvjdp.ac.in)

क्रमांक /  
प्रति,

775 / ब.वि.वि./अका./2021

जगदलपुर, दिनांक 08/09/2021

1. प्राचार्य,  
समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
2. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,  
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,  
जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

विषय :-

संदर्भ :-

सत्र 2021-22 में पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश।

छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के संबंध में विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/429/अका./ब.वि.वि./2021 जगदलपुर, दिनांक 16.07.2021 एवं छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत में किये गये संशोधन दिनांक 15.08.2021 के संबंध में विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक/708/अका./ब.वि.वि./2021 जगदलपुर, दिनांक 24.08.2021

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र एवं अधिसूचना जो विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है एवं आपके एवं महाविद्यालय/अध्ययनशाला की ई-मेल आईडी में प्रेषित किया गया है का अवलोकन एवं पालन करते हुए पात्रता प्रमाण-पत्र के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है :-

अ. स्नातक स्तर के लिए -

1. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर एवं मान्य बोर्ड सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तथा राष्ट्रीय मुक्त परीक्षा छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
2. काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया की सूची में सम्मिलित बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
3. छ.ग. राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर में एकीकृत पाठ्यक्रम होने के कारण अधूरा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिए -

1. छ.ग. राज्य स्थित राजकीय विश्वविद्यालय (यथा- पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वविद्यालय, बिलासपुर, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर) स्वशासी महाविद्यालयों एवं छ.ग. राज्य के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय से स्नातक की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है :-

अ. स्नातक स्तर के लिए -

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छ.ग. राज्य से बाहर के राज्यों के बोर्ड/मण्डल/विश्वविद्यालय, जो काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया की सूची में सम्मिलित नहीं है और जिसकी परीक्षाओं को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, से न्यूनतम अर्हकारी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण किये हैं, को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिए -

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छ.ग. राज्य से बाहर के राज्यों के विश्वविद्यालय, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हों, से न्यूनतम अर्हकारी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हैं, को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

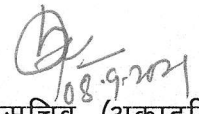
08.9.2021

### 3. अन्य निर्देश –

1. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता का निर्धारण एन.सी.टी.ई. एवं एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर होगा।
2. विधि संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता का निर्धारण बी.सी.आई. एवं छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर होगा।
3. तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे— एम.बी.ए., एम.सी.ए. आदि हेतु पात्रता का निर्धारण ए.आई.सी.टी.ई. एवं छ.ग.शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, रायपुर अथवा संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर होगा।
4. शेष अन्य स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता का निर्धारण संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश एवं छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर होगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें इस निर्देश के पृष्ठ-1 की कंडिका-1 अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा न किया जाये।
6. **पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया –**  
सत्र 2021-22 में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के शिक्षण विभाग के विभिन्न अध्ययनशालाओं और समस्त संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अथवा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नामांकन/पंजीयन कराने से पूर्व विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग पात्रता प्रकोष्ठ से पात्रता प्रमाण पत्र हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल [www.bvvjdpxam.in](http://www.bvvjdpxam.in) में ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन करना होगा। पंजीयन एवं आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क राशि रु. 300/- का भुगतान भी ऑनलाईन करना होगा। पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन प्रक्रिया से ही मान्य किये जायेंगे और विश्वविद्यालय के पोर्टल से ऑनलाईन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे जिसे अभ्यर्थी विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
7. अभ्यर्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अथवा स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नामांकन/पंजीयन कराने से पूर्व पात्रता प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन करने पश्चात् ऑनलाईन आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति, शुल्क भुगतान की प्रति सहित कक्षा 10वीं, 12वीं से लेकर विगत सत्र 2020-21 तक जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेशित रहा हो अथवा परीक्षाओं में सम्मिलित रहा हो, से संबंधित समस्त वर्ष/सेमेस्टर की अंकसूचियों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष से अभिमत, हस्ताक्षर एवं मोहर सहित अग्रेषित कराकर विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर, ऑनलाईन आवेदन करने, शुल्क भुगतान करने पश्चात् अपेक्षित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति जमा नहीं करने पर पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही नहीं की जावेगी एवं भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
9. पात्रता प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन करने, निर्धारित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने पर एवं उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा किये जाने पर पात्रता प्रमाण पत्र न्यूनतम 07 कार्य दिवस पश्चात् एवं 15 कार्य दिवस के भीतर जारी किया जावेगा। यदि पात्रता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित शुल्क राशि रु. 300/- का ऑनलाईन भुगतान कर समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा किये गये हों तो प्रमाण पत्र 07 दिवस के भीतर भी जारी किया जा सकता है। आवेदक को पात्रता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करना होगा।
10. किसी भी प्रकार की अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन किये जाने पर एवं आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं पाये जाने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा अथवा अपात्र उल्लेखित करते हुए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
11. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 06.09.2021 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.09.2021 में हुई चर्चा के अनुसार कुलपति एवं अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिया गया कि पात्रता प्रमाण-पत्र एवं समक्षता प्रमाण-पत्र के बिना किसी पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिये जाने पर, किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, परीक्षा परिणाम जारी हो जाने पश्चात् पात्रता प्रमाण-पत्र एवं समक्षता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने पर संबंधित छात्र-छात्रा को पेनाल्टी राशि 500/- रुपये विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही आवेदक छात्र-छात्रा के पात्र होने पर ही पात्रता प्रमाण-पत्र एवं समक्षता प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

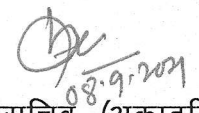
  
08.9.2021

12. किसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश समिति द्वारा एवं विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष/प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र एवं समक्षता प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु एक माह का अधिकतम समय दिया जावेगा। एक माह की अवधि पश्चात् पात्रता प्रमाण-पत्र एवं समक्षता प्रमाण-पत्र जमा नहीं करने पर प्रवेश/नामांकन/पंजीयन/परीक्षा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।
13. महाविद्यालयों के प्राचार्य/विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष आवेदक छात्र-छात्रा द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अथवा स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नामांकन/पंजीयन कराने से पूर्व पात्रता प्रमाण पत्र हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन को मयदस्तावेज अग्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सीट/स्थान रिक्त है एवं अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पूर्ण है और छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत में उल्लेखित निर्देशों/प्रावधानों और आवेदित पाठ्यक्रम के अध्यादेश के प्रावधानों/एन.सी.टी.ई./एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर/बी.सी.आई./ए.आई.सी.टी.ई./छ.ग.शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, रायपुर अथवा संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़/छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, जो भी लागू हो, द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार है।
14. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत में उल्लेखित निर्देशों/प्रावधानों और आवेदित पाठ्यक्रम के अध्यादेश के प्रावधानों/एन.सी.टी.ई./एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर/बी.सी.आई./ए.आई.सी.टी.ई./छ.ग.शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, रायपुर अथवा संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़/छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, जो भी लागू हो, अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी को महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रवेश दिया जाता है अथवा स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नामांकन/पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन अग्रेषित किया जाता है तथा यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है, अथवा प्रवेश/नामांकन/पंजीयन/परीक्षा आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष एवं संबंधित अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
15. छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना एवं विश्वविद्यालय से विधिवत सम्बद्धता की कार्यवाही पूर्ण कराये बिना यदि महाविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है और छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नामांकन/पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन अग्रेषित किया जाता है तथा यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संबंधित अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।  
(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
 सहायक कुलसचिव (अकादमिक)  
 शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर  
 जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)  
 जगदलपुर, दिनांक 08/09/2021

पृ.क्रमांक / 776 / ब.वि.वि./अका./2021  
 प्रतिलिपि :-

01. माननीय कुलपति महोदय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
 सहायक कुलसचिव (अकादमिक)  
 शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर  
 जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)